संख्या- 112/2015-469/नौ-5-15-20बजट/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 2015

विषय: राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद टूण्डला पुर्नगठन पेयजल योजना की निर्धारत लागत रू0 2499.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-21/नागर/2/033-304/14, दिनांक 21.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद टुण्डला पेयजल पुर्नगठन योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.03.2015 मे सम्मक विचारोपरान्त निर्धारित लागत रू0 2499.78 लाख (रू0 चौबीस करोड़ निन्यावे लाख अट्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्ययवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि का व्यय होने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियमो/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

::::::::::::2/

2- वित्त ,विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई 01- जलपूर्ति -101 -शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या- ई-8/1059/दस-2015, दिनांक 27 मार्च 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 112 /2015-469/नौ-5-15-20बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषण:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फिरोजाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टूण्डला (फिरोजाबाद) ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
8- मुख्य अभियंता (आ0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा ।
9- अधिशासी अभियंता, अस्थायी निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम, फिरोजाबाद ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-27/03/2015

प्रेषण संख्या:- 112-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-112-2015-469-9-5-15-20Bud-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 100000000	100000000 100000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000000 100000000	100000000 100000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव